प्रति,

श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय,
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण,
24, तिलक मार्ग, नई–दिल्ली 110001

विषय :– **एफ नं. 15–270/एनएमए/एचबीएल–2023 सार्वजनिक नोटिस के संबंध में आपत्ति आवेदन।**

संदर्भ :– **श्री आदिनाथ, श्री पार्श्वनाथ एवं श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर, स्थित खजुराहो, जिला छतरपुर (म.प्र.) के संबंध में।**

महोदय,

विषयांतर्गत सार्वजनिक नोटिस के संबंध में मेरी ओर से निम्न आपत्ति प्रस्तुत हैं :–

नियम 2011 निर्धारित तिथि के पूर्व आपत्ति/सुझाव के संबंध में आपत्तिकर्ता को कभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। न ही सार्वजनिक रूप से सूचना का प्रकाशन कराया गया
अध्याय–1 के संबंध में आपत्ति निम्न प्रकार हैं।

(अ) श्री आदिनाथ मंदिर, श्री पार्श्वनाथ मंदिर एवं श्री शांतिनाथ मंदिर जो 24 तीर्थकंर में से उनके नाम पर हैं।

श्री पार्श्वनाथ मंदिर के पास उसी प्रांगण में जैन तीर्थकंर (1) भगवान पदमप्रभु (2) भगवान आदिनाथ (3) भगवान शीतलनाथ (4) भगवान मल्लिनाथ (5) भगवान सुपार्श्वनाथ (6) भगवान महावीर (7) भगवान आदिनाथ (8) भगवान श्रेयांशनाथ (9) भगवान पार्श्वनाथ (10) भगवान आदिनाथ (11) भगवान श्रेयांशनाथ (12) भगवान महावीर (13) भगवान नेमीनाथ (14) भगवान आदिनाथ (15) भगवान आदिनाथ इस प्रकार स्वतंत्र रूप से कुल 15 मंदिर स्थित हैं। उक्त सभी मंदिरों में जैन तीर्थकंरों की प्रतिमा जी विराजमान हैं, जिनकी पूजा अर्चना जैन धर्माविलंवियों के द्वारा नियमित प्रतिदिन की जाती हैं। क्षेत्र पर विराजमान साधुगणों, साधवियों एवं विद्धवान व्यक्तियों द्वारा निरंतर ज्ञान, ध्यान, अध्ययन किया जाता है।

(ब) भगवान शांतिनाथ जी के मंदिर में भगवान शांतिनाथ मंदिर के अतिरिक्त 18 अन्य तीर्थकंरों के मंदिर स्थापित हैं। जिनमें तीर्थकर भगवंतों की प्रतिमा जी विराजमान हैं। जिनकी पूजा अर्चना जैन धर्माविलंवियों के द्वारा नियमित प्रतिदिन की जाती हैं। क्षेत्र पर विराजमान साधुगणों, साधवियों एवं विद्धवान व्यक्तियों द्वारा निरंतर ज्ञान, ध्यान, अध्ययन किया जाता है।

ऐसी स्थिति में निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के नियम अस्पष्ट हैं। जिससे आपत्तिकर्तागणों को यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है, कि हमारे साधुजन एवं विद्धानों के द्वारा किए जा रहे पूजन अर्चन एवं उनकी क्रियाओं के संबंध में कैसे उपयोग करेंगें, जिसका निराकरण वैधानिक रूप से आवश्यक है।

इस प्रकार स्पष्ट है, कि श्री पार्श्वनाथ मंदिर एवं श्री शांतिनाथ मंदिर, जो संस्था द्वारा निर्मित बाउन्ड्रीवाल के अंदर हैं। उक्त मंदिरों के दर्शनार्थ जैन मंदिर रोड के नाम से जाना जाने वाला पहुंच मार्ग है, व संस्था के द्वारा भव्य द्वार बनाया गया है, जिसमें प्रवेश करने के उपरांत मंदिर के दर्शनार्थ पहुंच मार्ग स्थित है।

दर्शनार्थियों के लिए ठंडा पेयजल, बाथरूम, बैठने की सुविधाऐं आपत्तिकर्ता संस्था के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, एवं दर्शनार्थियों के लिए आवश्यक प्रबंध किया जाता है। आवश्यकतानुसार साफ सफाई एवं जीर्णोधार नियमानुसार किए जाते हैं

अतः अध्याय–1 में वर्णित तथ्यों के संबंध में आपत्ति है।

अध्याय–2 में वर्णित नियम अस्पष्ट हैं। जिसके संबंध में आपत्ति यह है, कि निषिद्ध क्षेत्र एवं विनियमित क्षेत्र के पास ही जैन तीर्थाकंरों के अन्य मंदिर स्थापित हैं। जिनका वर्णन पूर्व में भी दिया जा चुका है। जिसके संबंध में नियम अस्पष्ट हैं। जिनका निराकरण आवश्यक है।

अध्याय–3 के पैरा नं. 08 में वर्णित तथ्यों में लेख है, कि पूर्व खजुराहो मंदिरों का समुह जिसमें हनुमान, ब्रहमा की विशाल मूति शामिल है, बावन मंदिर, जवारी मंदिर, घोतांई मंदिर, आदिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर एक ही भीतर एक साथ स्थित खजुराहो में है, उक्त तथ्य असत्य हैं। जो वास्तविकता एवं शास्त्र संमत नहीं हैं।

खण्ड–3.4.2 में महावीर जंयती और पर्यूषण पर्व के अवसर पर पर्यटक मंदिरों में आते हैं, वास्तविकता यह है, कि जैन समाज के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से सुबह श्री जी का अभिषेक, शांतिधारा, पूजन, विधान, स्वाध्याय, स्तुति आदि एवं संध्याकालीन आरती पुरूष एवं महिला वर्ग व बच्चों के द्वारा की जाती है। अतः प्रस्तावित तथ्यों के अनुसार निराकरण आवश्यक है।

अध्याय–4 में भूमि विकास नियम 2012 का उल्लेख है, हमारी जानकारी में खजुराहो विकास योजना 2031 का भी प्रकाशन हो चुका है, इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 01–11–2019 अवलोकनीय है। जिसमें पाषाण से निर्मित मंदिर हेतु ऊँचाई भी अंकित है। संरचना की ऊँचाई AAI द्वारा प्राप्त अनुमति अनुसार समिति रखी जावेगी जो विनियमित क्षेत्र के अलावा भी मान्य होगी।

अध्याय–5 में वर्णित तथ्य ''ये स्मारक कुल मिलाकर विशाल कृषि भूमि से घिरे हुए हैं। यह तथ्य असत्य हैं। जैसा कि पूर्व में भी लेख किया जा चुका है, कि तीनों श्री आदिनाथ मंदिर, श्री पार्श्वनाथ मंदिर एवं श्री शांतिनाथ मंदिर कवर्ड प्रांगण के अंदर हैं। बाउन्ड्री बाल से घिरे हुए हैं, खुली या बंजर भूमि नहीं है, जिस कारण अन्य कोई अवैधानिक कब्जा कर निर्माण कार्य संभव हो सके। अतः प्रस्तावित तथ्यों का निराकरण आवश्यक है।

अध्याय–6 में वर्णित तथ्य आधारहीन हैं। आपत्तिकर्ता के जैन समुदाय द्वारा पूज्य मंदिरों पर भविष्य में कोई कब्जा या अतिक्रमण होने की संभावना नहीं है, ना ही विकास में बाधक हैं।

जैन समाज के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से अभिषेक, शांतिधारा व पूजन, स्वाध्याय, पठन पाठन, ध्यान, तप आदि एवं रात्रिकालीन प्रवचन, आरती के कार्यक्रम होते हैं। उक्त गतिविधियां नियमित हैं।

अध्याय–7 में विशिष्ठ सिफारिसें एवं अनुशंसाऐं अंकित हैं। तदानुसार हमारी संस्था को जो भी निर्देश दिए जाऐगें, उनका पालन करने के लिए तत्पर हैं। नियमों का प्रकाशन राजपत्र में भी हो चुका है, व खजुराहो विकास योजना 2031 अवलोकनीय है।

आपत्तिकर्ता का पक्ष –

खजुराहो स्थित दिगम्बर जैन मंदिर पूर्वी समुह जिसमें श्री पार्श्वनाथ मंदिर, श्री आदिनाथ मंदिर, श्री शांतिनाथ मंदिर एवं अन्य तीर्थकंरों के नाम पर मंदिर स्थित हैं। जिनमें जैन दर्शन में आस्था रखने वाले जैन धर्माविलंबी व अन्य समाज के लोग भी दर्शनार्थ यहां आकर के प्रातः काल से देर रात्रि तक पूजन, अर्चन, स्वाध्याय, पठन पाठन, ज्ञान, ध्यान, रात्रि प्रवचन एवं आरती आदि विभिन्न धार्मिक गतिविधियां निरंतर करते हैं, साधू, साधवी एवं अन्य साधकगण यहां रहकर के निरंतर साधना करते हैं।

सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक 22–08–2023 से स्पष्ट है, कि हमारे इन मंदिरों का धार्मिक स्वरूप खत्म करने का कुचक्र रचा जा रहा है। जिसका सम्पूर्ण भारत की जैन समाज विरोध करती है।

इसी क्रम में अतिशय क्षेत्र खजुराहो के नाम से स्वत्व एवं आधिपत्य जो राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि खसरा नं. 2067/998, 853, 856, स्थित ग्राम–खजुराहो, का अधिग्रहण करने का भी उल्लेख है,

जबकि उक्त भूमि का उपयोग धार्मिक एवं सार्वजनिक उपयोग में किया जाता है। अतः जैन समाज एवं श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र समिति खजुराहो इसका आपत्ति स्वरूप विरोध करती है।

खजुराहो स्थित जैन मंदिरों (श्री आदिनाथ, श्री पार्श्वनाथ, श्री शांतिनाथ) का बाहरी भाग अर्थात भवन की दीवाल पर अंकित कलाकृतियां भौतिकबाद का सौंदर्य व चित्रण करती हैं। इसके विपरीत मंदिरों का आंतरिक भाग अर्थात गर्भगृह आदि का चित्रण कामवासना से मुक्त होकर वैराग्य की ओर अग्रेसित होकर मोक्ष मार्ग एवं एकाग्रता की ओर प्रशस्त करती हैं। उक्त स्थिति क्रोध, मान, माया एवं लोभ से मुक्त होती है।

उल्लेखनीय है, कि परमपूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का चर्तुमास, पूज्य आर्यिका माता 105 अनन्तमति माताजी का, पूज्य आर्यिका माता 105 दृणमति माताजी का, पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज, चार्तुमास समपन्न हुआ एवं इस वर्ष पूज्य आर्यिका माता 105 तपोमति माताजी एवं आर्यिका 105 गुणमति माताजी का सासंघ 15 आर्यिका माता सहित चर्तुमास सम्पन्न कर रही हैं। एवं अनेकों साधु/साध्वियों का वर्षाकाल/शीतकाल/गीष्मकाल क्षेत्र पर सम्पन्न होता रहता है।

इस प्रकार खजुराहो अतिशय क्षेत्र जैन धर्माविलंवियों का विशेष क्षेत्र है। गुरूजनों के माध्यम से आध्यात्म की शिक्षा ग्रहण कर भौतिकबाद से मुक्ति की ओर अग्रसर होने का स्थान है। उच्च शिक्षा राष्ट्रीय स्तर के साथ अंतराष्ट्रीय पर्यटकों को भी दी जाती है।

जैन समाज के द्वारा एवं पर्यटकों के द्वारा आदिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों में स्थापित भगवान (प्रतिमा जी) के दर्शन कर दर्शनार्थी स्वयं का सौभाग्य मानते हैं। अतः उक्त मंदिर सांसारिक वैभव से मुक्ति के साधन हैं। इसलिए इन मंदिरों के धार्मिक स्वरूप को बनाऐ रखने का निवेदन/अपेक्षा करते हैं, व ऐसे किसी भी कदम का विरोध का करते है, जो इनके धार्मिक स्वरूप का नष्ट करता हो/क्षति पहुंचाता हो अथवा बदलने का कुचक्र करता हो।

श्रीमान महोदय से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं का अवलोकन करते हुए ASI नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 15 जून 1967 एवं ASI सर्किल भोपाल के पत्र क्रमांक 1/1/P/Mts/Svv-208 दिनांक 04/09/2008 का अवलोकन करते हुए प्रस्तावित सार्वजनिक नोटिस क्रमांक एफ नं. 15–270/एनएमए/एचबीएल–2023 निरस्त करने की आज्ञा प्रदान करें।

आपत्तिकर्ता

दिनांक :– 16–09–2023